

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No. 20]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

**वित्त मंत्रालय**

(आर्थिक कार्य विभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

**सं. 5-1/2012-एनएस-II.**—लोक ऋण नियमावली, 1946 के नियम 4 के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) के भाग 2 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है कि

- (i) **9.50% (नौ दशमलव पचास प्रतिशत)** भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2033 लोक ऋण कार्यालय द्वारा अनुरक्षित गौण सामान्य बही खाता में धारक के नाम में धारित 'स्टॉक' के रूप में जारी की जाएंगी; और
- (ii) ये प्रतिभूतियां हस्तांतरणीय नहीं होंगी।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd January, 2014

**No. 5-1/2012-NS-II.**— In exercise of the powers conferred by clause (b) of Rule 4 of the Public Debt Rules, 1946 the Central Government hereby specifies for the purpose of Sub clause (b) of clause (2) of Section 2 of the Public Debt Act, 1944 ( 18 of 1944) that

- (i) **9.50% ( Nine point fifty percent)** Government of India ( National Small Savings Fund) ( Non-transferable) Special Securities, 2033 shall be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained by the Public Debt Office; and
- (ii) these securities shall not be transferable.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

**9.50% भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि)****(अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2033****का निर्गम**

**सं. 5-1/2012-एनएस-II.**—भारत सरकार, एतद्वारा **9.50 प्रतिशत**, भारत सरकार (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) (अहस्तांतरणीय) विशेष प्रतिभूति, 2033 (जिसे यहां इसके बाद “विशेष प्रतिभूति” कहा गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

**2. उद्देश्य :-**

केन्द्र सरकार भारत सरकार के मोचन लेखा में “राष्ट्रीय लघु बचत निधि” (एनएसएसएफ) में प्राप्त राशि में से यहां नीचे अधिसूचित विशेष प्रतिभूतियों और 1.4.1999 से एकत्र निवल लघु बचत संग्रह के हिस्से में से राज्य सरकार प्रतिभूतियों का निर्गम करेगी।

**3. विशेष प्रतिभूतियों के लिए पात्रता :**

सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग; एनएसएसएफ की ओर से विशेष प्रतिभूतियों के लिए अंशदान करने के पात्र होंगे।

**4. अंशदान :**

9928 करोड़ रुपए (नौ हजार नौ सौ अठईस करोड़ रुपए केवल) राशि की विशेष प्रतिभूतियां निर्गमित की जाएंगी।

**5. प्रतिभूतियों का स्वरूप :**

विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में अनुरक्षित गौण सामान्य लेखा खाते में धारक के नाम में धारित ‘स्टॉक’ के रूप में निर्गमित की जाएंगी।

**6. निर्गम का मूल्य, दिनांक और स्थान :**

- (i) विशेष प्रतिभूतियां सममूल्य पर निर्गमित की जाएंगी।
- (ii) विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम की तारीख 31 मार्च, 2013 होगी।
- (iii) विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में निर्गमित की जाएंगी।

**7. अवधि :**

विशेष प्रतिभूतियों की अवधि निर्गम की तारीख से **20 वर्ष** होगी।

**8. क्रय विक्रय विकल्प**

- (i) विशेष प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय-विक्रय का विकल्प होगा जैसा इस विभाग के दिनांक 6 मई, 2002 के फाईल सं. 4(9)-डब्ल्यूएण्डएफ 2000 के जरिए जारी सामान्य अधिसूचना के पैराग्राफ 7.5 में विनिर्धारित है।
- (ii) भारत सरकार को दो वर्ष के उपरांत परिपक्वता के पहले विशेष प्रतिभूतियों के पूर्णतः अथवा आंशिक मोचन के लिए “क्रय विकल्प” का उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में सरकार द्वारा निर्धारित परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख से मोचन विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

- (iii) विशेष प्रतिभूतियों अर्थात् राष्ट्रीय लघु बचत निधि के धारक के पास दो वर्ष के उपरांत परिपक्वता के पहले विशेष प्रतिभूतियों के पूर्णतः अथवा आंशिक मोचन के लिए “विक्रय के विकल्प” का उपयोग करने का अधिकार होगा। ऐसी दशा में सरकार द्वारा निर्धारित परिपक्वता पूर्व मोचन की तारीख से उन्मोचित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।

## 9. ब्याज :

- (i) विशेष प्रतिभूतियों पर **9.50% (नौ दशमलव पचास प्रतिशत)** प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। अप्रैल से सितम्बर और अक्टूबर से मार्च की अर्धवार्षिक अवधियों के लिए देय ब्याज क्रमशः 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को देय होगा। प्रतिभूति पर ब्याज लोक ऋण कार्यालय (अर्थात् निर्गम करने वाला कार्यालय), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में देय होगा।
- (ii) ब्याज लगभग सौ रुपए के पूर्णांकन के बाद चुकाया जाएगा।

## 10. चुकौती :

विशेष प्रतिभूतियों की चुकौती यहाँ ऊपर पैराग्राफ 8 में विनिर्धारित शर्तों के अधीन 31 मार्च, 2033 को की जाएगी।

## 11. अंतरणीयता और रुपांतरण :

विशेष प्रतिभूतियां अंतरणीय नहीं होंगी और इनके किसी अन्य रूप में अंतरण की अनुमति नहीं होगी, जब तक सरकार द्वारा विशेष रूप से विनिर्दिष्ट न किया जाए।

## 12. सांविधिक प्रावधान :

ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसका इस अधिसूचना में उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) और उसके अन्तर्गत विरचित लोक ऋण नियमावली, 1946 द्वारा अधिशासित होंगी।

डॉ. रजत भार्गव, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

**Issue of 9.50% Government of India**

**(National Small Savings Fund) (Non-transferable)**

**Special Securities, 2033**

**No. 5-1/2012-NS.II.**—The Government of India, hereby notifies the issue of **9.50 per cent** Government of India (National Small Savings Fund) (Non-transferable) Special Securities, 2033 (hereinafter called “special securities”).

### 2. Objective :

Central Government shall issue the Special Securities notified hereunder against the amount received in the National Small Savings Fund (NSSF) on account of redemption of special Government of India and State Government securities issued against shares of net small savings collection from 1-4-1999 onwards.

### 3. Eligibility for subscribing to special securities :

The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, on behalf of NSSF, shall be eligible to subscribe to special securities.

**4. Subscription :**

Special securities will be issued for an amount of Rs. 9928 crore (Rupees Nine thousands nine hundred twenty eight crore only).

**5. Form of securities :**

The special securities will be issued in the form of 'Stock' to be held at the credit of the holder in the Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

**6. Price, Date and Place of Issue :**

- (i) The special securities will be issued at par.
- (ii) The date of issue of special securities shall be the date of 31st day of March, 2013.
- (iii) The Special Securities will be issued at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Nagpur.

**7. Tenure:**

The tenure of the special securities will be **20 years** from the date of issue.

**8. Call and put option :**

- (i) The Special Securities will have the call and put options as specified in paragraph 7.5 of the General Notification, issued vide this Department's F. No. 4(9)-W&M/2000, dated 6th May, 2002.
- (ii) The Government of India shall have the discretion to exercise "call option" to prematurely redeem the special securities wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption decided by the government.
- (iii) The holder of the Special Securities, i.e. National Small Savings Fund shall have the discretion to exercise "put option", for premature redemption of the special securities, wholly or partly at par, after two years. In that event, interest on the special securities shall cease to accrue on the redeemed special securities from the date of premature redemption.

**9. Interest :**

- (i) The special securities will bear interest at the rate of **9.50% (Nine point fifty per cent)** per annum. Interest accrued for the half yearly periods from April to September and October to March will be payable on 31st March and 30th September respectively. Interest on the securities will be payable at the Public Debt Office (i.e. the office of issue), Reserve Bank of India, Nagpur.
- (ii) Interest will be paid after rounding off to be nearest hundred rupees.

**10. Repayment :**

The special securities shall be repaid at par on March 31, 2033 subject to the terms specified under paragraph 8 hereinabove.

**11. Transferability and conversion :**

The Special Securities shall not be transferable and conversion of the securities to any other form shall not be permitted, until and unless otherwise specified by the Government.

**12. Statutory Provisions :**

With respect to any such matter which has not been provided under this notification, the special securities shall be governed by the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) and the Public Debt Rules, 1946 framed there under.

Dr. RAJAT BHARGAVA, Jt. Secy.